

#1224

ग्रामीण सेवा शिविर-2025



न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - लांगान्य)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 610

दायर दिनांक 3/10/2025 निर्णय दिनांक 3/10/25

क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	लाखा का खेड़ा	22	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी श्री श्रीमा पुत्री देवजी गाड़ी सा. देह रहन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कपासन</p>	<p>तहसिलीदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>लाखा का खेड़ा</u> प.ह. <u>नुरकिमा खुर्द</u> खातासं <u>22</u> में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>03/10/25 तहसिलीदार कपासन जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>
			<p>हस्ताक्षर गिरजावत <i>(Signature)</i></p>	<p>हस्ताक्षर व मोहर तहसिलीदार <i>(Signature)</i></p>
			<p>3/10/25 प. ए. नुरकिमा खुर्द तहसिलीदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>	<p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन <i>(Signature)</i> सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला चित्तौड़गढ़</p>